28/11/14

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मूल दावे के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। सुनी गई बहस व लिखित प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादियों का अवलोकन किया। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि मूल दावा के निस्तारण तक बेचान न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के होकर नम्बर से कम होकर सलग्न हो।

(हस्ताक्षर)